भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2966

गुरूवार, 13 अगस्त, 2026 / 22 श्रावण, 1948 (शक)

ओडिशा से प्रवासी कामगारों का पंजीकरण

2966. श्री शुभाशीष खुंटियाः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ओडिशा से असंगठित श्रमिकों हेतु राष्ट्रीय डेटाबेस (ई-श्रम) पर पंजीकृत प्रवासी कामगारों की जिला-वार संख्या कितनी है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान रोजगार के लिए राज्य से बाहर गए पंजीकृत कामगारों की संख्या कितनी है;

(ग) केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से ऐसे कामगारों को प्रदान किए गए कल्याणकारी लाभों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या ओडिशा से प्रवासी कामगारों के पंजीकरण, ट्रैकिंग और सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु कोई उपाय प्रस्तावित हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों का आधार से जुड़ा एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) सृजित करने के लिए दिनांक 26 अगस्त, 2021 को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) का शुभारंभ किया। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित कामगारों को एक सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) प्रदान करते हुए उनका पंजीकरण करना और उन्हे सहायता प्रदान करना है। हालांकि, दिनांक 06.08.2026 तक की स्थिति के अनुसार, 31.85 करोड़ से अधिक असंगठित कामगार स्व-घोषणा के आधार पर ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं जिसमें ओडिशा राज्य से 1.37 करोड़ पंजीकरण शामिल हैं।

ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत ओडिशा के प्रवासी कामगारों सहित असंगठित कामगारों का जिला-वार ब्यौरा तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान, रोजगार के लिए ओडिशा राज्य से बाहर प्रवास करने वाले पंजीकृत कामगारों का ब्यौरा संलग्नक -I और II में है।

जारी...2/-

बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के विज़न के अनुरूप, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम–"वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" का शुभारंभ किया, जो सामाजिक सुरक्षा/कल्याणकारी योजनाओं का एक ही पोर्टल पर एकीकरण करता है और ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंचने और ई-श्रम के माध्यम से अब तक उनके द्वारा प्राप्त किए गए लाभों को देखने में समर्थ बनाता है।

असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ाने के लिए अब तक, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की पंद्रह(15) योजनाओं को ई-श्रम के साथ एकीकृत/मैप किया जा चुका है, इनमें प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी आरएएम जी), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) आदि शामिल हैं।

प्रवासी कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए केंद्रीय सरकार ने अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 को अधिनियमित किया था। इस अधिनियम को अब उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएँ (ओएसएच) संहिता में समाहित कर लिया गया है। ओएसएच संहिता प्रवासी कामगारों सहित सभी श्रेणी के संगठित और असंगठित कामगारों के लिए गरिमापूर्ण कार्य दशाओं, न्यूनतम मजदूरी, शिकायत निवारण कार्यतंत्र टॉल फ्री हेल्पलाइन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हितलाभों, वर्ष में एक बार यात्रा भत्ता और सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान किए जाने का उपबंध करती है। प्रवासी कामगार किसी स्थापन के एक नियमित कामगार के लिए उपलब्ध ईएएसआईसी, ईपीएफओ के हितलाभों और अन्य हितलाभों आदि सहित सभी हितलाभों का लाभ उठाने के लिए पात्र है।

** *****

संलग्नक-I

"ओडिशा से प्रवासी कामगारों का पंजीकरण" के संबंध में श्री शुभाशीष खुंटिया द्वारा दिनांक 13.08.2026 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2966 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

दिनांक 06.08.2026 तक की स्थिति के अनुसार ई-श्रम पोर्टल पर ओडिशा राज्य के पंजीकृत प्रवासी कामगारों सहित असंगठित कामगारों की संख्या का जिला-वार ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र.सं.	जिला	कुल पंजीकरण
1	अनुगुल	4,73,656
2	बलांगीर	5,98,362
3	बालेश्वर	8,56,223
4	बारगढ़	5,54,345
5	भद्रक	5,64,597
6	बौध	1,85,317
7	कटक	7,50,120
8	देवगढ़	1,33,063
9	ढेंकनाल	4,32,614
10	गजपति	1,57,148
11	गंजम	12,03,252
12	जगतसिंहपुर	3,73,977
13	जाजपुर	6,03,775
14	झारसुगुडा	1,57,584
15	कालाहांडी	5,44,251
16	कंधमाल	2,64,107
17	केंद्रपाड़ा	5,39,278
18	केंदुझर	5,86,652
19	खोरधा	5,86,419
20	कोरापुट	3,05,871
21	मल्कानगिरी	1,71,517
22	मयूरभंज	7,87,236
23	नबरंगपुर	3,70,829
24	नयागढ़	3,91,182
25	नुआपाड़ा	2,65,824
26	पुरी	5,73,098
27	रायगढ़	2,61,174
28	संबलपुर	3,19,217
29	सोनेपुर	2,45,406
30	सुंदरगढ़	5,20,721
	कुल	**1,37,76,815**

संलग्नक-II

“ओडिशा से प्रवासी कामगारों का पंजीकरण” के संबंध में श्री शुभाशीष खुंटिया द्वारा दिनांक 13.08.2026 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2966 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

पिछले तीन वर्षों के दौरान रोजगार के लिए ओडिशा राज्य से बाहर प्रवास करने वाले पंजीकृत कामगारों का ब्यौरा (ई-श्रम पोर्टल के अनुसार) निम्नानुसार है:

क्र. सं	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	2023	2024	2025	2026
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	-	-	4	-
2	आंध्र प्रदेश	6	8	41	80
3	अरुणाचल प्रदेश	-	1	-	-
4	असम	1	4	2	-
5	बिहार	35	45	84	66
6	छत्तीसगढ़	3	17	27	14
7	दिल्ली	8	9	5	4
8	गुजरात	39	66	45	20
9	हरियाणा	-	1	3	3
10	हिमाचल प्रदेश	-	1	-	1
11	झारखंड	23	29	67	47
12	कर्नाटक	14	39	20	12
13	केरल	3	9	7	2
14	मध्य प्रदेश	4	5	5	5
15	महाराष्ट्र	19	34	19	9
16	नागालैंड	-	-	1	-
17	पंजाब	2	3	2	3
18	राजस्थान	3	1	4	2
19	तमिलनाडु	10	33	28	17
20	तेलंगाना	6	7	9	2
21	दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	1	-	1	-
22	त्रिपुरा	-	1	1	-
23	उत्तर प्रदेश	2	12	11	23
24	पश्चिम बंगाल	33	50	49	43
